न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल, अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 874–दो/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–03–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 41/2000–2001/अपील.

.....

हरि पिता हीराजी
निवासी सिख मोहल्ला
किला तरफ बारा तहसील कुक्षी,
जिला धार म0प्र0 ।

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री विक्रांत होल्कर, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/07/2015 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक कुक्षी द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन दिनांक 14–02–1997 प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम रामसिंहपुरा तहसील कुक्षी स्थिति भूमि सर्वे नम्बर 94 रकवा 0.512 हेक्टर में से 1673 टन चूना पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 101/96–97/अ–67 दर्ज कर दिनांक 25–7–2000 को आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थी द्वारा किये गये अवैध चूना पत्थर के उत्खनन 1673 टन का बाजार मूल्य 1,84,000/– अवधारित किया जाकर

बाजार मूल्य का दुगुना अर्थदण्ड रुपये 3,68,000/– अधिरोपित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा 31–3–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1– अपीलार्थी की ओर से जबाव दिये जाने के उपरांत उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अपर कलेक्टर की आदेशिका दिनांक 24–8–99 से स्पष्ट है कि उस दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित हुआ है तथा पीठासीन अधिकारी के चुनाव में व्यस्त रहने के कारण पेशी दिनांक 21–9–99 नियत की गई, उस दिनांक को प्रकरण नहीं निकाला गया, तत्पश्चात् अपीलार्थी क्रो नोटिस जारी करने का आदेश हुआ । इस प्रकार दिनांक 21–9–99 से 19–7–2000 तक अपीलार्थी को बिना सूचना दिये प्रकरण चलाया गया और दिनांक 17–7–2000 को अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 25–7–2000 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । स्पष्टतः अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है ।

2– संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने के लिये निम्न तथ्य सिद्ध करना आवश्यक है, (क)–उस व्यक्ति द्वारा कोई खनिज निकाला गया है या हटाया गया है । (ख)–वह खनिज पदार्थ किस खदान से निकाला वह हटाया गया है । (ग)–ऐसी खदान या खान का अधिकार शासन में निहित है और उसके द्वारा अभिहस्तांकित नहीं किया गया है। (घ)– ऐसा खनिज निकाला या हटाया जाना वैध प्राधिकार के बिना किया गया है। (ड.)– निकाले गये खनिज का मूल्य! अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को बिना प्रमाणित किये शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिकता की गई है ।

3– यद्यपि अपीलार्थी द्वारा निजी भूमि से उत्खनन नहीं किया गया है, फिर भी उसके विरूद्ध प्रकरण चलाया जा सकता था, तब वह मध्यप्रदेश माइनर मिनरल रूल्स, 1996 के नियम 53 के अन्तर्गत चलाया जा सकता था, अतः अपर कलेक्टर को प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं था ।

4– अवैध उत्खनन को सिद्ध करने का भार शासन पर था जो कि नहीं किया गया है, तर्क के समर्थन में 1987 आरएन 290, 1969 आरएन 280, 1976 आरएन 453 एवं 1979 आरएन 90 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा शासकीय भूमि से अवैध उत्खनन किया गया है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं गई है । इस आधार पर कहा गया दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत है जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस अपील में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक कुक्षी द्वारा पटवारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में अपीलार्थी द्वारा उसकी निजी भूमि सर्वे नम्बर 94 रकवा 0.512 हेक्टर से 1673 टन चूना पत्थर का बिना अनुमति के अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत् खनिज निरीक्षक पटवारी एवं अन्य स्वतंत्र गवाहों के साक्ष्य लिये जाकर स्थल निरीक्षण एवं साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी की निजी भूमि में से 1673 टन चूना का अवैध उत्खनन बिना अनुमति के किया जाना प्रमाणित पाते हुये उसका बाजार मूल्य 1,84,000/–रुपये निर्धारित कर बाजार मूल्य के दो गुना रुपये 3,68,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर के समक्ष दिनांक 24–8–99 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ है और प्रकरण में पेशी दिनांक 21–9–1999 नियत की गई, तत्पश्चात् अपीलार्थी को बिना सूचना दिये अंतिम आदेश दिनांक 25–7–2000 को

पारित कर दिया गया है । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। कारण दिनांक 24–8–99 को अपीलार्थी कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुआ है। अपर कलेक्टर के समक्ष उसके द्वारा जबाव भी प्रस्तुत किया गया है । अतः अपीलार्थी का दायित्व था कि वह कलेक्टर के समक्ष प्रचलित प्रकरण की प्रगति के संबंध समय रहते जानकारी प्राप्त करता, परन्तु उसके द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं की गई। उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये उल्लिखित तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं की निजी भूमि से अवैध उत्खनन बिना अनुमति के किया गया है । उनके द्वारा प्रस्तुत यह तर्क भी मान्य नहीं है कि यदि अपीलार्थी द्वारा उसकी निजी भूमि से उत्खनन किया गया था, तब मध्य प्रदेश माइनर मिनरल रूल्स, 1996 के तहत कार्यवाही की जा सकती थी, संहिता की धारा 247 के तहत नहीं, क्योंकि संहिता की धारा 247 में अवैध उत्खनन किये जाने पर अपर कलेक्टर को कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2015 एवं कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश 25–7–2000 विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाते है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर